सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

धोरीमन्ना—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —भागीरथरामआर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं.:—2024 / 64 — दर्ज तिथिः—15.03.2024

1. चौखाराम पुत्र तुलसाराम
2. सरूपाराम पुत्र तुलसाराम
3. मानाराम पुत्र तुलसाराम
   जाति सुथार निवासी आकली, तहसील धोरीमना जिला बाडमेर।

...........प्रार्थी

बनाम

1. सीमरथाराम पुत्र मानाराम
2. किरताराम पुत्र मानाराम
3. ताजाराम पुत्र मानाराम
4. नानगाराम पुत्र मानाराम
5. रीड़मलराम पुत्र सुरताराम
6. पुरखाराम पुत्र सुरताराम
7. गोरधनराम पुत्र सुरताराम
8. रूखमणाराम पुत्र सुरताराम
9. गोमा पुत्र सुरताराम
10. चुनी पत्नी सुरताराम
11. देवीलाल पुत्र चिमनाराम
12. पुखराम पुत्र चिमनाराम
13. वाली पत्नी चिमनाराम
    जाति जाट निवासी बोर चारणान तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर
14. तहसीलदार धोरीमना

..................असल अप्रार्थी

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः—श्रीओमप्रकाश विश्नोई
अप्रार्थीगणः—श्री भाखराराम गोदारा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—128
राजस्थान भू—राजस्व अधि—1956

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:06:42 IST
Reason: Self Attested

—ःनिर्णयः—

निर्णय तिथिः—27.06.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू—राजस्व अधि—1956 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि मौजा आकली पटवार हल्का बोर चारणान में प्रार्थी संख्या 1 की

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना

हाल आराजी खसरा संख्या 92 / 80 / 2.80040 है0, प्रार्थी संख्या 2 की हाल आराजी खसरा संख्या 89 / 80 / 2.3067 है0, प्रार्थी संख्या 3 की हाल आराजी संख्या 90 / 80 / 2.3148 है0 अवस्थित है। उक्त वर्णित आराजी प्रार्थीगण की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है एवं आराजी पर प्रार्थीगण काबिज रहकर बिना किसी बाधा वो रूकावट के काश्त करते चले आ रहे है। उक्त खातेदारी आराजी से अप्रार्थीगण का कोई हक संबंध किसी प्रकार का नहीं है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की आराजी के कार्यकाश्त में बाधा डालते हैं। उक्त आराजी का मौके पर सीमांकन नहीं होने से प्रार्थीगण द्वारा सीमांकन कराए जाने बाबत तहसीलदार धेरीमना के यहां प्रार्थना—पत्र पेश किया। जिस पर तहसीलदार धोरीमना द्वारा आदेशांक दिनांक 26.12.2023 द्वारा एक टीम गठित कर टीम को उक्त आराजी का सीमाज्ञान हेतु निर्देशित किया गया। गठित टीम द्वारा दिनांक 26.12.2023 को मौके पर उपस्थित होकर उक्त आराजी मौजा आकली खसरा संख्या 92 / 80, 89 / 80, 90 / 80 का सीमांज्ञान कराकर निशानदेही कराई गई। तथा मूल खसरा 80 व इससे लगती हुई ग्राम डबोई व बोर चारणान की सरहद के बारे में उपस्थित खातेदार व सेढा पड़ौसियों को अवगत करवाया गया परन्तु अप्रार्थीगण मौके पर असंतुष्ट होकर पैमाईश को नहीं मान रहे है तथा प्रार्थीगण की आराजी को अपनी आराजी में मिलाना चाहते है। अब प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजी की पत्थरगढ़ी दिनांक 26.12.2023 की सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार कराना चाहते है। अंत में प्रार्थना—पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी उक्त की पत्थरगढ़ी मुताबिक पैमाइश के अनुसार कराए जाने के आदेश जारी करने का निवेदन किया गया।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। असल अप्रार्थीगण संख्या 01—10 के अतिरिक्त समस्त असल अप्रार्थीगण विधिवत तामील अनुपस्थित होने के कारण अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। असल अप्रार्थीगण संख्या 01—10 असालतन—वकालतन हाजिर न्यायालय हुए। प्रकरण में हाजा न्यायालय के पत्र दिनांक 09.07.2024 के तहत तहसीलदार धोरीमना को उक्त आराजी की विस्तृत सीमाज्ञान रिपोर्ट भिजवाने हेतु लिखा गया जिसकी पालना में तहसीलदार धोरीमना गठित टीम द्वारा उक्त आराजी का सीमाज्ञान कर विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट मय नजरी नक्शा तहसीलदार धोरीमना के पत्रांक 2231 दिनांक 12.08.2024 के तहत हाजा न्यायालय को प्रस्तुत की गई। जिस पर विप्रार्थीगण संख्या 1 से 10 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी व आदेश 39 नियम 7 सीपीसी का प्रस्तुत कर मौका रिपोर्ट पर आपति व पुनः मुस्तकिल बिन्दु कायम कर सीमाज्ञान तथा मौका व तथ्यात्मक रिपोर्ट पुनः मंगवाने का निवेदन किया। दौराने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता ने विप्रार्थीगण द्वारा पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाने का विरोध किया । विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन के बाद न्यायहित में पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाने के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर न्यायालय हाजा के पत्रांक 472 दिनांक 06.11.2024 के तहत खरीफ फसल कटने के बाद खेत खाली होने पर तहसील टीम द्वारा सभी पक्षकारों की मौजूदगी में जरीब चलाकर पक्षकारों के राजस्व रेकर्ड में दर्ज खातेदारी भूमि का सीमा के दोनों ओर जहां पूरा होता है उसे चिन्हित करते हुए विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट तहसीलदार धोरीमना से तलब [illegible] जिसकी पालना में तहसीलदार धोरीमना के पत्रांक 91 दिनांक 14.01.2025 के [illegible] मौका रिपोर्ट दिनांक 16.11.2024 न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई। उक्त मौका रिपोर्ट के संबंध में विप्रार्थी संख्या 1 से 10 द्वारा एक प्रार्थना पत्र [illegible] प्रार्थी के आवेदन को खारीज करने का निवेदन किया। प्रार्थीगण मय वकील अपना विगतवार जवाब प्रस्तुत किया जिसे शामिल मिशल किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:06:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना

चौखाराम बनाम सिमरथाराम
2024 / 64
निर्णय दिनांकः–15.03.2024

3. न्यायालय द्वारा विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 26.12.2023 को अपनी आराजी का सीमाज्ञान करवाया गया जिसके अनुसार अपनी आराजी की पत्थरबंदी का निवेदन किया है। उक्त सीमाज्ञान पर विप्रार्थी को ऐतराज होने पर न्यायालय के आदेश से तहसीलदार धोरीमना द्वारा गठित टीम द्वारा 2 बार उक्त आराजी का सीमाज्ञान कर विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट मय नक्शा न्यायालय को प्रस्तुत किया जा चुका है। विप्रार्थीगण प्रार्थीगण की आराजी पर अवैध कब्जा करने की नियत से प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में विलम्ब करवाकर आपति या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहे है तथा अन्त में प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी की मुताबिक पैमाइश दिनांक 16.11.2024 के अनुसार पत्थरगढ़ी के आदेश जारी करने का निवेदन किया है। दौराने बहस अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थीगण की उक्त आराजी की नेखमबंदी किये जाने का विरोध किया।

4. मैंने बहस प्रार्थी अधिवक्ता पर मनन किया। प्रकरण में सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–111 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

> ***111. Decision of disputes as to boundaries.—****(1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.*
>
> *(2) If, in the course of an inquiry into a dispute under this section the Land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or it if is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.*

5. राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–111 के अनुसार खसरों की सीमाओं के विवाद को हाल राजस्व नक्शे के अनुसार तथा हाल राजस्व नक्शे के उपलब्ध न होने पर वास्तविक कब्जे के आधार पर निस्तारित किये जाने के प्रावधान बनाये गये है। खसरों की सीमाओं के विवाद को निस्तारित करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–128 के तहत प्रावधान बनाये गये है। अतः प्रकरण में साथ ही राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–128 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

> ***128. Boundary disputes. -*** *All disputes concerning boundaries shall be decided by the Land Records Officer in the manner laid down in section 111:*
>
> *Provided that applications in relation to boundaries of fields may be made to and disposed of by the Tehsildar in cases where there exists no dispute as to such boundaries but on account of the absence of proper boundary marks there is the likelihood of such a dispute arising.*

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:06:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना

6. उक्त विधिक प्रावधानों के संदर्भ में पत्रावली पर संलग्न दरतावेजात् जमाबंदी में राजस्व इन्द्राज एवं तहसीलदार धोरीमना द्वारा किये गये सीमांकन रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड के अंकित इन्द्राज के अनुसार उक्त आराजी प्रार्थीगण की सालिम खातेदारी की आराजी होना साबित है। साथ ही संलग्न रिपोर्ट पैमाइश दिनांक 16.11.2024 से भी यह तथ्य प्रार्थीगण साबित है कि प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार धोरीमना के माध्यम से गठित टीम से युक्त वर्णित आराजी की पैमाइश कराई जा चुकी है। सीमाज्ञान रिपोर्ट में गठित टीम द्वारा मौके पर मुस्तकिल बिन्दु मानकर सीमाज्ञान किया। मौके पर प्रार्थीगण को सीमाचिह्न बताकर प्रार्थीगण को संतुष्ट किया गया है। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार उक्त वर्णित आराजी की खसरे की सीमाओं को लेकर अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद है। इस प्रकार प्रार्थीगण की अपनी कब्जेशुदा खातेदारी आराजी की सुरक्षा तथा सीमा विवाद के निस्तारण हेतु पत्थरगढ़ी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर आदेश जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना—पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा—128 भू—राजस्व अधिनियम—1956 के बाबत् पत्थरगढ़ी किये जाने का स्वीकार किया जाता है। हाल आराजी खसरा संख्या 92/80, 89/80, 90/80 वाके ग्राम आकली पटवार हल्का बोर चारणान तहसील धोरीमना पर प्रार्थीगण एवं संबंधित पक्षकारों/हितधारकों की पूर्व सूचित उपस्थिति में खातेदारी आराजी पर मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी कर सीमा निर्धारण किये जाने के आदेश तहसीलदार धोरीमना को दिये जाते हैं एवं साथ ही निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थीगण को मौके पर उपस्थित रहने बाबत जरिये नोटिस पूर्वसूचित करते हुए पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट न्यायालय को अवगत करायें। पक्षकार अपना—अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे। तहसीलदार धोरीमना की विस्तृत सीमाज्ञान रिपोर्ट मय नजरी नक्शा दिनांक 16.11.2024 निर्णय का अभिन्न हिस्सा रहेगा।

आदेश प्रति पालनार्थ हेतु तहसीलदार धोरीमना को भिजवाई जावें। अहकाम पृथक से जारी किया जावे।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 27.06.2025 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

27/6/2025

(भागीरथराम आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:06:42 IST
Reason: SelfAttested